


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/ 6071

दिनांक: 19-5-2020

आदेश


श्री सुनील पुरोहित, एडवोकेट(एनरोलमेन्ट नं. आर/920/2012), मं. नं. 10 विनायक कॉलोनी पीएफ ऑफिस रोड जोधपुर एवं श्री अक्षत वर्मा, एडवोकेट, डी-45 कमला नेहरू नगर जोधपुर को नगर निगम उदयपुर एवं नगर परिषद भीलवाडा के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित रिट याचिकाओं में पैरवी एवं प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने हेतु 5500/- रूपये प्रति केस पर पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इनको पारिश्रमिक भुगतान नियमानुसार नगर निगम उदयपुर एवं नगर परिषद भीलवाडा से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।


(उज्ज्वल राठीड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/ 6072-6083 दिनांक: 19-5-2020
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर/अजमेर।
05. महापौर/सभापति/आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर/नगर परिषद, भीलवाडा।
06. श्री सुनील पुरोहित, एडवोकेट, मं. नं. 10 विनायक कॉलोनी पीएफ ऑफिस रोड जोधपुर।
07. श्री अक्षत वर्मा, एडवोकेट, डी-45 कमला नेहरू नगर जोधपुर।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी